5 आयकर की गणना विधि
Method of Income Tax Calculation

पाठकों को आयकर की गणना विधि समझने में आसानी हो, इसलिए हम इसे मुख्य पांच चरणों (Five Steps) में निम्नानुसार विभक्त कर रहें हैं। तथा अगले पृष्ठ पर आयकर गणना विधि को, फ्लोचार्ट (Flow Chart) के माध्यम से, रेखांकित करने का प्रयास किया गया है –

5.1 प्रथम चरण – सकल कुल आय (Gross Total Income) की गणना करना :–इसमें निम्न पांच श्रोतो से होने वाली करयोग्य आय की गणना अलग – अलग करें –

1.	वेतन शीर्ष से आय	Income from Salary Head
2	गृह सम्पत्ति से आय	Income from Houses Property
3.	व्यवसाय या वृत्ति से लाभ एवं अभिलाभ	Income from Business & Profession
4.	पूंजी लाभ	Income from Capital Gain
5.	अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय	Income from Other Sources

उपरोक्त स्त्रोतों से होने वाली कर योग्य आय के योगफल में, नियमानुसार संबंधित हानियों का समायोजन करने के पश्चात अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आय (Clubbing income) उसको भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त राशि, सकल कुल आय (Gross Total Inocme) कहलाती है।

5.2 द्वितीय चरण – कर योग्य आय (कुल आय) (Total Income) की गणना करना :

सकल कुल आय में चेप्टर VIA की मुख्यतः निम्न धाराओं जैसे –

धारा 80 C : GPF/PPF/LIC/NSC/ELSS व 5 वर्ष या अधिक समय के लिए अधिसूचित बैंकों/पोस्ट आफिस में सावधि जमा, आदि में किये गये निवेश की राशि अधिकतम 1.5 लाख रू. तक।

धारा 80 CCD : केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना में करदाता/नियोक्ता का अंशदान, वेतन के 10% की सीमा तक ।

धारा 80 CCD(1B) : व्यक्ति करदाता का NPS में निवेश 50,000 रू तक कटौति योग्य धारा 80 CCE के 1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त

धारा 80CCE : धारा 80C धारा 80CCC तथा 80CCCD के तहत किये गये निवेश (नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना में वेतन के 10 प्रतिशत तक किया गया अंशदान एवं धारा 80 CCD(1B) के अंतर्गत किये गये निवेश को छोड़कर) कुल योग 1 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए।

धारा 80 CCG : सरकार द्वारा राजीव गॉधी इक्विटी योजना के तहत, अधिसूचित स्टाक एक्सेंज मे सूचीबध्द शेयरो या म्यूचूअल फण्ड मे किये निवेश की राशि के 50% की कटौती, अधिकतम 25,000 रूपये तक की सीमा मे, ऐसे नये खुदरा निवेशक, व्यक्ति तथा हिन्दु अविभक्त परिवार को प्राप्त होगी, जिनकी सकल आय 12 लाख रूपये तक है। यह कटौती केवल एक बार प्राप्त होगी ।

धारा 80D : स्वयं पति/पत्नि, आश्रित माता–पिता और बच्चों के स्वास्थ्य पर चिकित्सा बीमा प्रीमियम।

धारा 80DD : आश्रित विकलांग के उपचार या बीमा प्रिमियम पर व्यय।

धारा 80G : प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोश आदि में दिये गए दान।

5.3 तृतीय चरण – कुल आय पर कर (Tax on Total Income) की गणना करना :

कुल (Total Income) आय पर, निर्धारित दर (0, 10%, 20%, 30%) के आय कर की गणना की जाती है। वैसे तो कृषि आय पूर्णतः करमुक्त है, परन्तु यदि कृषि आय रू. 5,000 के अधिक हो, तो उसे Slab Purpose के लिए जोड़ें।

5.4 चतुर्थ चरण :– भुगतान योग्य (Tax Payable) आयकर की गणना :

धारा 88E (जिन्होने सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पटाया हो) के तहत आयकर में छूट की राशि घटा कर, भुगतान योग्य आयकर (Tax Payable) की गणना की जाती है।

5.5 पंचम चरण :– शुद्ध भुगतान योग्य आयकर (Net Tax Payable) की गणना करना :

भुगतान योग्य आयकर पर यदि लागू हो तो निर्धारित दर से सरचार्ज की गणना कर, जोड़े तथा प्राप्त सरचार्ज सहित आयकर पर 3 प्रतिशत की दर से एजूकेशन सेस जोड़े। अब इस प्रकार प्राप्त कुल भुगतान योग्य कर (Total Tax Payable) में, यदि बकाया राशि (एरियर्स) प्राप्त हुई हो तो धारा 89(i) व अन्य के तहत राहत की गणना कर, घटाएं। इस प्रकार प्राप्त राशि शुद्ध भुगतान योग्य आयकर कहलाती है।